27/07/18
04:10pm.

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी।

सूचना

उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी के तत्वावधान में परिवार कल्याण समिति का गठन किया जाना है। उक्त परिवार कल्याण समिति द्वारा विभिन्न थानों से आने वाले 498ए के मामलों में सुलह समझौता का प्रयास किया जायेगा। परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष के चयन हेतु सेवानिवृत्त जज/ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सेवानिवृत्त लोक अदालत अथवा सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जो अपर सचिव या उसके समकक्ष श्रेणी से नीचे का न हो आवदेन कर सकते है। समिति के अन्य 02 सदस्यों के रूप में पराविधिक स्वयं सेवक, समाजसेवी जिन्हें वैवाहिक मामलों का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो तथा परामर्शदाता जिन्हें वैवाहिक मामलों में परामर्श देने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो तथा कार्यरत अधिकारियों की पत्नियां या अन्य नागरिक जो मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि के स्नातक हो तथा सामाजिक कार्यों या कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हों आदि में से किया जाना है। परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रारम्भिक कार्यकाल 03 माह का होगा जो उनके कार्य व आचरण को दृष्टिगत रखते हुए विस्तारित किया जा सकता है। परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि से भुगतान किया जायेगा। परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक-10.08.2018 को सायं 4:00 बजे तक अपना आवेदन नियत प्रारूप पर स्पष्ट शब्दों में भर कर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक-20.08.2018 को लिया जायेगा। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। अधिक जानकारी व नियत आवेदन प्रारूप हेतु नोटिस बोर्ड अथवा किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

दिनांक-

(रचना सिंह)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बाराबंकी।

प्रतिलिपि-

1- श्रीमान नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स को सादर सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के संबंध में।

2- सहा0 सूचना निदेशक बाराबंकी को दैनिक समाचार पत्रों में आश्यक रूप से छपवाये जाने हेतु।

3- प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, बाराबंकी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।

4- समस्त तहसीलदार/सचिव तहसील विधिक सेवा समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दीवानी न्यायालय परिसर बाराबंकी

System officer to upload on District court website.
28/07/18